[illegible] 14/[illegible]/16

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 ... अन्य राज्य कार्य में व्यस्त ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/8/24 को पेश हो।
19/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित [illegible] [illegible] [illegible] को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
रिपोर्ट [illegible] हेतु [illegible] [illegible]	
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी [illegible] वास्ते बहस हेतु दि0 6/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। अन्य राज्य कार्य में ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/11/24 को पेश हो।
8/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी [illegible] वकील अप्रार्थी की बहस सुनी [illegible] वास्ते [illegible] 20/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्म्त सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 14/2016
निर्णय दिनांक : 20.11.2024

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण सहाय जाति गुर्जर आयु निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मागीलाल,
2. देवीलाल,
3. हनुमान,
4. गोपीलाल पुत्राान गुल्लाराम तथा बोर नहुनूराम पुत्र रामसहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 20.11.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.33 है० मे से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 मे कृषि प्रयोजनार्थ कृषि यंत्र लाने ले जाने अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 है० में स्थित विधमान मार्ग को विस्तारित व उक्त भूमि को रास्ते हेतु अधिग्रहित व राजस्व अभिलेखो मे रास्ते मे अंकित करवाना चाहता हूँ आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 0.33 है0 में से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 026, जमाबन्दी सवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 91 तथा खसरा नम्बर 305 रकबा 0.33 है० मे से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 अन्य खातेदार उस आराजी की ... जिसमे विधमान मार्ग को विस्तारित रास्ते को बढाना या चौडा करवाना चाहता है ... प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी मागीलाल, देवीलाल, हनुमान, गोपीलाल पुत्रान गुल्लाराम तथा नहनूराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रामसहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या की खातेदारी की भूमिखसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 है० ग्राम रघुनाथ पुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित विधमान रास्ते से प्रार्थी अपनी सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 0.33 है० मे से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु पूर्व में अप्रार्थी की सहमति से खसरा नम्बर खसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 में से आता जाता रहा है किन्तु दिनॉक 11.02.2016 को रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास किया है । प्रार्थी को खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि को राज्य सरकार मे अधिग्रहित कर राजस्व अभिलेखो मे रास्ते की भूमि अंकित की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी हाजिर अदालत आये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया गलत एंव झुठे तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थी द्वारा मनगढंत एंव बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, प्रार्थी के स्वंय के कथनानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 385 रकबा 0.33 हैक्टयर में से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 हैक्टयर है, उक्त भूमि को प्रार्थी ने इसके पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र सुवालाल जाति बागडा ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय किया है, उक्त भूमि के पूर्व स्वामी हनुमान पुत्र सुवालाल की अन्य आराजीयात् खसरा नम्बर 393, 579, 600, 601, 606 व खसरा नम्बर 385 रकबा 0.33 हैक्टयर में हिस्सा 11/33 है, जिसमें आने–जाने हेतु अन्यत्र रास्ता विद्यमान है, जिससे ही प्रार्थी का आवागमन रहता है, जब प्रार्थी ने उक्त भूमि क्रय की थी तब भी प्रार्थी को इस बाबत पूर्ण जानकारी थी कि उक्त भूमि में आने–जाने हेतु सीधा रास्ता नही है तथा प्रार्थी को पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र सुवालाल की सहमति से एंव उसकी भूमि में आने–जाने हेतु उपलब्ध रास्ते से ही आना–जाना पडेगा, इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी मात्र अप्रार्थी को हैरान एंव परेशान करने के लिए प्रार्थी द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 हैक्टयर में से होकर रास्ता चाहता है. जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 388 की भूमि पर से कोई रास्ता मौजूद नही है ना ही पूर्व सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारीयों द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए अंकन की लिपीकिय भूल करते हुए, सहवनवश गत खसरा न[illegible] के नये खसरा नम्बर के रूप में [illegible] 388 दर्शाया गया। तथा अप्रार्थीगण संख्या एक व कब्जा का[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 388 किस्म बारानी अव्वल से बदल कर गैर मु० रास्ता दर्ज करते हुए इसकी खातेदारी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिताजी श्री गुल्लाराम देव अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के पिताजी श्री नहनूराम के नाम से कम करके उक्त गत खसरा नम्बर 296 के खातेदार के नाम से अंकित कर दी, जबकि उक्त नये खसरा नम्बर 388 का पुराना खसरा नम्बर 297 एंव सही किस्म बारानी अव्वल थी, दौराने सेटलमेन्ट ही उक्त गलती राजस्व अधिकारीयों को पकड में आ गयी, फिर भी राजस्व अधिकारीयों द्वारा उक्त गलती को पूरी तरह से दुरूस्त नही की जाकर जरिये मिसल संख्या 80/91 फैसल दिनांक 5-2-91 बदर संख्या 11 के मुताबिक उक्त नये बसरा नम्बर 388 की खातेदारी, उक्त गत खसरा नम्बर 296 के खातेदार के नाम से खारिज कर, पुनः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के पिताजी श्री नहनूराम के नाम से अंकित कर दी किन्तु सहवनवश उक्त नये खसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 हैक्टयर की किस्म बारानी अव्वल के स्थान पर गैर मु. रास्ता के रूप में ही दर्ज रह गयी जबकि मौके पर उक्त नये खसरा नम्बर 388 का बारानी के रूप में उपयोग व उपभोग हो रहा है, उक्त गलती को दुरूस्त करवाने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के यंहा पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण संख्या 43/2012 का निर्णय दिनांक 16-06-2016 को करते हुए श्रीमान् न्यायालय "ने उक्त खसरा नम्बर 388 की किस्म गैर मु. रास्ता के स्थान पर बारानी अव्वल किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये तथा उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 27-07-2016 को उक्त खसरा नम्बर 388 की किस्म दुरूस्त कर बारानी अव्वल दर्ज कर दी है, यंहा यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उक्त प्रकरण की भली भांति जानकारी प्रार्थी को थी तथा प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में स्वंय को पक्षकार बनाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया था, जिसको श्रीमान् न्यायालय ने खारिज फरमा दिया था। अप्रार्थीगण के स्वामित्व एंव कब्जे के खसरा नम्बर 388 रकबा 0.02 हर की भूमि पर से कोई रास्ता मौजूद नही है ना ही पूर्व में कभी मौजूद रहा कथन कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 388 में से प्रार्थी अप्रार्थीगण की सहमति हे असा जाता रहा है, कतई गलत, झूठा, असत्य एंव बेबुनियाद है, प्रार्थी तो स्ट्रेन्जर प्रार्थी का परचेजर है, जिसने मात्र 4-5 वर्ष पूर्व ही उक्त भूमि को क्रय किया है. उक्त भूमि कभी भी रास्ते के रूप में इस्तेमाल में [illegible] प्रार्थी द्वारा दर्शित दिनांक 11-02-2016 ही घटना पूर्णतया [illegible] है, उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जो काश्त के प्रयोग में आती [illegible] प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार तहसील सांगानेर के समक्ष भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 18-08-2016 को निर्णय करते हुए श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सांगानेर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया है, इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 388 किसी भी प्रकार से रास्ते की भूमि नहीं है और ना ही इसका उपयोग कभी भी रास्ते की भूमि हेतु आज तक किया गया है, उक्त भूमि खेती की जमीन है, जिस पर काश्त का कार्य होता है, उक्त भूमि में से या इसके आगे भी पश्चिम दिशा की ओर कोई रास्ता नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी को उसकी क्रयशुदा भूमि बाबत रास्ता उपलब्ध करवाये जाने की जिम्मेदारी इसके पूर्व स्वामी हनुमान पुत्र सुवालाल की है, उक्त हनुमान पुत्र सुवालाल एव प्रार्थी के मध्य खसरा नम्बर 385 बाबत सहखातेदारी दर्ज है, जिसका की आज तक कोई विभाजन प्रार्थी एंव उक्त हनुमान पुत्र सुवालाल के मध्य नही हुआ है, उक्त खसरा नम्बर 385 के विभाजन के अनुरूप प्रार्थी अपनी भूमि बाबत रास्ता कायम करवा सकता है, किन्तु प्रार्थी ने जानबुझकर नाजायज हथकंडे अपना कर अप्रार्थीगण की भूमि का हडप कर जाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका की प्रार्थी को कोई अधिकार नही है, प्रार्थी स्वंय क्लीन हैण्ड से नही आया है, प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि मैं से रास्ता निकलवाये जाने का कोई कानूनी अधिकार नही है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 385 रकबा 0.33 हैक्टयर में से हिस्सा 24/33 तथा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 हैक्टयर है, उक्त भूमि को प्रार्थी ने इसके पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र सुवालाल जाति बागडा ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है, उक्त भूमि के पूर्व स्वामी हनुमान पुत्र सुवालाल की अन्य आराजीयात् खसरा नम्बर 393, 579, 600, 601, 606 व खसरा नम्बर 385 रकबा 0.33 हैक्टयर में हिस्सा 11/33 [illegible] आने–जाने हेतु अन्यत्र रास्ता विद्यमान है, जिससे ही प्रार्थी का आवागमन रहता है [illegible] उक्त भूमि क्रय की थी तब भी प्रार्थी को इस बाबत पूर्ण जानकारी थी कि उक्त भूमि में आने–जाने हेतु सीधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नहीं है तथा प्रार्थी को पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र सुवालाल की सहमति से एवं उसकी
के आने-जाने हेतु उपलब्ध रास्ते से ही आना-जाना करेगा, अप्रार्थीगण की खातेदारी
खसरा नम्बर 388 किसी भी प्रकार से रास्ते की भूमि नहीं है और ना ही इसका उपयोग
भी रास्ते की भूमि हेतु आज तक किया गया है, उक्त भूमि खेती की जमीन है जिस
का कार्य होता है, उक्त भूमि में से या इसके आगे भी पश्चिम दिशा की ओर कोई
नहीं है, प्रार्थी को उसकी क्रयशुदा भूमि बाबत रास्ता उपलब्ध करवाये जाने की
इसके पूर्व स्वामी हनुमान पुत्र सुवालाल की है, उक्त हनुमान पुत्र सुवालाल एवं
के मध्य खसरा नम्बर 385 बाबत सहखातेदारी दर्ज है, जिसका की आज तक कोई
प्रार्थी एंव उक्त हनुमान पुत्र सुवालाल के मध्य नही हुआ है, उक्त खसरा नम्बर 385
विभाजन के अनुरूप प्रार्थी अपनी भूमि बाबत रास्ता कायम करवा सकता है.। प्रार्थी को
अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता निकलवाये जाने का कोई कानूनी अधिकार नही है, प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251-क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested